[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या **14** /2018- सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक **25** मार्च, 2019

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है), में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "एसीटोन" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद **2914 11 00** के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 1**1** मार्च, 2014, जिसे सा.का.नि. संख्या 178(अ), दिनांक 1**1** मार्च, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/26/2018-डीजीएडी, दिनांक 06 जुलाई, 2018, जिसे दिनांक 06 जुलाई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा शुरू की थी ;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/26/2018-डीजीएडी, दिनांक 05 मार्च, 2019, जिसे दिनांक 05 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ;

(1) प्रश्नगत उत्पाद का विषयगत देशों से इसके सस्ते मूल्य पर आयात जारी है;
(2) फालतू आयात के कारण घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है;
(3) यदि विषयगत देशों से होने वाले आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इससे घरेलू उद्योग को लगातार क्षति होने की संभावना है;
(4) रिकार्ड में प्राप्त सूचना से यह प्रकट होता है कि यदि लागू एडीडी को इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाए तो इन उत्पादों की भरमार और इनसे होने वाली क्षति जारी रहेगी;
(5) इस जांच अवधि के दौरान सिंगापुर के एक उत्पादक और निर्यातक ने सहयोग दिया है । मैसर्स मितसुई फिनोल सिंगापुर प्राईवेट लिमिटेड ने सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया है और इस प्रकार होने वाले फालतू आयात से घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हो रही है;
(6) वर्तमान समीक्षा जांच के दौरान यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने सहयोग नहीं दिया है । प्राप्त डाटा से पता चलता है कि इन देशों से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात हुआ है ।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित हैं और भारत में आयातित हैं, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा और माप इकाई में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादक और/या निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	**2914 11 00**	एसीटोन	सिंगापुर	मैसर्स मितसुई फिनोल सिंगापुर प्राईवेट लिमिटेड	**56.91**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
2.			सिंगापुर	अन्य कोई भी	**121.04**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
3.			यूरोपीय संघ	कोई भी	**277.85**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
4.			दक्षिण अफ्रीका	कोई भी	**179.65**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन
5.			संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	**213.76**	अमेरिकी डॉलर/मैट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फाइल संख्या 354/65/2007-टीआरयू (पार्ट-।।।))

(डॉ. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार